<u>न्यायालय– अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), ललितपुर।</u>

S.S.T. No– 329/2020

राज्य प्रति इन्दल सिंह

मु.अ.सं.–17/2020

धारा 138 विद्युत अधिनियम

थाना नाराहट जिला ललितपुर।

<u>आदेश</u>

<u>06.12.2023</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त **इन्दल सिंह** समक्ष न्यायालय जेर जमानत उपस्थित आया ।

पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का सम्यक रूपेण परिशीलन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा <u>138</u> विद्युत अधिनियम का आरोप विरचित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध है।

अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा <u>138</u> विद्युत अधिनियम का आरोप विरचित किया जाता है। अभियुक्त ने लगाए गए आरोप से इंकार किया तथा विचारण करने की प्रार्थना की।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनॉक..........................को पेश हो। अभियोजन पक्ष नियत दिनॉक को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

Date 06.12.2023

(लोकेश कुमार),
अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधिनियम)
ललितपुर।

UPLL010017402020

<u>न्यायालय– अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), ललितपुर।</u>

S.S.T. No– 329/2020

राज्य प्रति इन्दल सिंह

मु.अ.सं.–17/2020
धारा 138 विद्युत अधिनियम
थाना नाराहट जिला ललितपुर।

<u>आरोप</u>

मैं लोकेश कुमार, अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (E.C.Act)/(Electricity Act)ललितपुर आप अभियुक्त **इन्दल सिंह** के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप विरचित करता हूॅं–

यह कि दिनांक 07.02.2020 को समय 11.40 बजे स्थान ग्राम झरावटा, थाना नाराहट ललितपुर में वादी अवर अभियन्ता द्वारा अपने हमराही कर्मचारीगण के साथ शासन के निर्देशानुसार विद्युत चैंकिंग की गयी, तो आपके द्वारा बिना विद्युत बिल जमा किये अपने स्तर से कटे संयोजन को जोड़ कर विद्युत का उपयोग किया गया तथा विद्युत की चोरी की गयी। इस प्रकार आपका यह कृत्य धारा **<u>138</u>** विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको विनिर्दिष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आरोप के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

Date 06.12.2023

(लोकेश कुमार),
अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधिनियम)
ललितपुर।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया उसने आरोप से इन्कार किया और विचारण किये जाने की याचना की गयी।

Date 06.12.2023

(लोकेश कुमार),
अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधिनियम)
ललितपुर।